

एनएसडब्ल्यू एंटी-स्लेवरी कमिश्नर

एनएसडब्ल्यू एंटी-स्लेवरी कमिश्नर कौन है?

न्यू साउथ वेल्स एंटी-स्लेवरी (गुलामी- विरोधी) कमिश्नर डॉ जेम्स कॉकैने हैं। डॉ कॉकैने का पांच साल का कार्यकाल 1 अगस्त 2022 को शुरू हुआ।


एंटी-स्लेवरी कमिश्नर का कार्य *मॉडर्न स्लेवरी एक्ट 2018* (एनएसडब्ल्यू) द्वारा सृजित किया गया था। यह आयुक्त को निम्नलिखित कार्यभार देता है:

- आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए कार्रवाई की वकालत करना और उसे बढ़ावा देना
- आधुनिक गुलामी के शिकार लोगों की पहचान करना और उन्हें सहायता और समर्थन प्रदान करना
- आधुनिक गुलामी से लड़ने के लिए सरकारी कानूनों और नीतियों को प्रभावी बनाने को सुनिश्चित करना
- आपूर्ति-श्रृंखला से आधुनिक गुलामी के उत्पादों को हटाने के लिए एनएसडब्ल्यू सार्वजनिक खरीद प्रयासों का समर्थन और निगरानी
- आपूर्ति-श्रृंखला में आधुनिक गुलामी के खतरों को दूर करने के प्रयासों से संबंधित कार्य संहिता (कोड ऑफ प्रैक्टिस) जारी करना और एक सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखना
- आधुनिक गुलामी के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना।

Office of the
NSW Anti-slavery
Commissioner

Working together for real freedom

NSW Anti-slavery Commissioner's
Strategic Plan 2023-2026



आधुनिक गुलामी क्या है?

आधुनिक गुलामी तब होती है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह उनका मालिक हो - उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हुए। आधुनिक गुलामी एक ऐसा शब्द है जिसमें विभिन्न प्रकार के कानूनी अपराध शामिल हैं। इसमें शामिल हैं:

- गुलामी
- दासत्व
- यौन दासता
- जबरन मजदूरी कराना
- ज़बरदस्ती की शादी
- ऋण बंधन
- व्यक्तियों की तस्करी
- श्रम या सेवाओं के लिए धोखे से भर्ती
- अंग और ऊतक तस्करी
- बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण

क्या एनएसडब्ल्यू में आधुनिक गुलामी है?

हाँ। दुनिया भर में अनुमानित 5 करोड़ लोग आधुनिक गुलामी में रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अनुमानित 41,000 लोग आधुनिक गुलामी में रह रहे हैं जिसमें से न्यू साउथ वेल्स में अनुमानित 16,400 हैं।

एनएसडब्ल्यू में आधुनिक गुलामी के कुछ उदाहरण क्या हैं?

एंटी-स्लेवरी कमिश्नर के कार्यालय को NSW में कई अलग-अलग प्रकार की आधुनिक गुलामी की विश्वसनीय रिपोर्ट मिली है, जिनमें शामिल हैं:

- क्षेत्रीय एनएसडब्ल्यू में खेतों पर बंधुआ मजदूरी में फंसे मजदूर।
- शहरी घरों में घरेलू दासता के लिए मजबूर श्रमिक।
- महिलाओं और बच्चों को व्यक्तिगत रूप से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार किया जाना और यौन शोषण के लिए मजबूर किया जाना।
- कार्यालय प्रखंडों में कार्यरत सफ़ाई कर्मी व सुरक्षा गार्ड कर्ज बंधन के शिकंजे में फंसे।
- युवा पुरुषों, महिलाओं और लड़कियों को यहाँ या विदेश में शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- विकलांग लोग जिनका अलग-अलग कार्यस्थलों में या संस्थागत देखभाल में शोषण किया जा रहा है।
- प्रथम राष्ट्र (फ़र्स्ट नेशन) के लोगों द्वारा जबरन श्रम और जबरन बाल श्रम।

तथ्य पत्रक

एनएसडब्ल्यू एंटी-स्लेवरी कमिश्नर

एनएसडब्ल्यू में आधुनिक गुलामी को समाप्त करने के लिए एंटी-स्लेवरी कमिश्नर क्या कर रहा है?

गुलामी विरोधी आयुक्त के निम्न कार्य हैं:

रोकथाम क्षमता का निर्माण करना - एनएसडब्ल्यू सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम करना ताकि उन्हें ऐसे लोगों की पहचान करने में मदद मिल सके जो आधुनिक गुलामी के सहज शिकार हैं और उनके उत्पीड़न को रोकना। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को लैस करना और एक प्रभावी सहायता और रेफरल हॉटलाइन स्थापित करना शामिल है।

समाधान को सक्षम करना - सेवा प्रदाताओं के साथ काम करना ताकि आधुनिक दासता का अनुभव कर रहे लोगों को प्रभावी समाधान प्राप्त करने में सुधार हो सके। इसमें प्रभावी समर्थन तक पहुंच को मजबूत करना और उत्तरजीवियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना शामिल है।

उत्तरदायी व्यावसायिक रीतियों को बढ़ावा देना - आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश में आधुनिक दासता की पहचान करने और उसे संबोधित करने में नेतृत्व दिखाने के लिए सरकार और निजी कंपनियों के साथ काम करना। इसमें सार्वजनिक खरीद से आधुनिक गुलामी के उत्पादों को हटाना और निजी क्षेत्र में जिम्मेदार व्यावसायिक रीतियों को बढ़ावा देना शामिल है।

इतिहास को बदलना - एनएसडब्ल्यू में आधुनिक दासता के बारे में जागरूकता इस तरह से बढ़ाना जिससे उत्तरजीवी सशक्त बनें और दासता-विरोधी व्यवसाय और नीतिगत मामलों का निर्माण हो।

उद्देश्यात्मक समुदाय का विकास करना - आधुनिक दासता अधिनियम 2018 (एनएसडब्ल्यू) के स्थायी और समावेशी कार्यान्वयन के लिए नींव रखना, हितधारकों को अधिनियम के लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए एक साथ लाना और यह सुनिश्चित करना कि आधुनिक दासता का मुकाबला करने के प्रयास टिकाऊ और सफल हो सकते हैं।



क्या आप, या आपका कोई जानने वाला खतरे में है?

यदि आप या आपका कोई परिचित मानव तस्करी या गुलामी के खतरे में है, तो आप संपर्क कर सकते हैं:

- एनएसडब्ल्यू एंटी-स्लेवरी कमिश्नर के कार्यालय को antislavery@justice.nsw.gov.au पर। हम आपको आवश्यक सुरक्षा और सहायता सेवाओं, जैसे आवास, कानूनी और आप्रवासन सलाह, परामर्श और वित्तीय सहायता के लिए निर्देशित करने में मदद करेंगे। एंटी-स्लेवरी कमिश्नर को उनके साथ साझा की गई रिपोर्ट की जानकारी को किसी को आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि किसी बच्चे या युवा व्यक्ति को महत्वपूर्ण नुकसान होने का संदेह करने के लिए उचित आधार न हो; या
- ऑस्ट्रेलियन फ़ेडरल पुलिस (AFP) को 131 237 (131AFP) पर या मदद के लिए AFP की वेबसाइट www.afp.gov.au पर जाएँ।

क्या आपको दुभाषिए की ज़रूरत है?

131 450 पर अनुवाद और दुभाषिया सेवा के माध्यम से निःशुल्क, गोपनीय दुभाषिया सेवा उपलब्ध है। टीआईएस का एक दुभाषिया आपको अन्य सेवाओं के साथ बातचीत करने में मदद कर सकता है, हालांकि टीआईएस परामर्श प्रदान नहीं करता है। सभी कॉल निःशुल्क और गोपनीय हैं।

एनएसडब्ल्यू एंटी-स्लेवरी कमिश्नर के कार्यालय से जुड़े रहें

हमारी वेबसाइट पर जाएँ



Website: dcjnsw.info/antislaverycommissioner

Facebook: @Office of the NSW Anti-slavery Commissioner

LinkedIn: @Office of the NSW Anti-slavery Commissioner